



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

संख्या एस/1/2011/एसटीजीजेएच/एसईएफसीसी/आर.यू.-3

सेवा में

1. श्री विनय कुमार चौबे,  
जिला मैजिस्ट्रेट रांची,  
झारखंड
2. उपायुक्त बोकारो,  
झारखंड

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन  
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan  
Khan Market, New Delhi-110 003

Dated 08/08/2013

विषय: श्री रमित सतेन्द्र पुत्र श्री सतेन्द्र सिंह, बूटी रोड, रांची द्वारा फर्जी जाती प्रमाण पत्र प्रपट करने के संबंध में श्री अशोक सिन्हा, बक्सी कम्पाउण्ड, बरियातु, रांची द्वारा शिकायत।

संदर्भ: 1.पत्रांक 352 दिनांक 08/07/2013, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कल्याण शाखा कार्यालय बोकारो।

2.पत्रांक 2135(ii)/क दिनांक 11/07/2013, उपायुक्त कल्याण रांची समहरनालय रांची।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय इस आयोग के पत्र दिनांक 11/07/2013 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाने का निर्देश हुआ। आपको व्यक्तिगत तौर पर आयोग में चर्चा के लिए 02/08/2013 को 12.30 बजे बुलाया गया था। आपकी अनुपस्थिति रही तथा आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है।

मामला फर्जी जाती प्रमाण पत्र का है, तथा संवेदनशील होने के कारण आयोग के माननीय सदस्य, श्री भेरु लाल मीणा ने एक और मौका देते हुए सुनवाई तथा की गई कार्यवाही पर चर्चा के लिए 10/09/2013 को 12.30 बजे आयोग में आपको बुलाया है। कृपया उपरोक्त तिथि व समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय

(के. डी. बंसौर)

उप निदेशक

प्रतिलिपि:

1. अनुसंधान आधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची (झारखंड) को अनुवर्ती कार्यवाही हेतु।